भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 265

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन 2.0 का कार्यान्वयन

†*265. श्री मितेश पटेल बकाभाईः

श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना सहित देश में जल जीवन मिशन के पहले चरण की तुलना में जल जीवन मिशन 2.0 में किए गए प्रमुख बदलावों तथा इसके कार्यान्वयन ढांचे और वित्तपोषण पद्धति सहित जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) जल स्रोतों की दीर्घकालिक संधारणीयता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के प्रचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने तथा देश में सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए क्या सुधार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) वर्ष 2026-27 के दौरान जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत तेलंगाना सहित राज्य-वार आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) देशभर में जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत सर्वत्र और सतत ग्रामीण घरेलू नल जल आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019 में स्वीकृत और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 2019 से जल जीवन मिशन के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार तथा वर्ष-वार और राज्य-वार कितने घरेलू नल जल कनेक्शन स्वीकृत किए हैं और कितने कार्यशील हैं; और

(छ) जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत भू-जल संदूषण और इसके अतिदोहन को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (छ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"जल जीवन मिशन 2.0 का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री मितेश पटेल बकाभाई एवं श्रीमती डी. के. अरुणा द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *265 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): पेयजल 'राज्य' का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है।

देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी से, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है। जल जीवन मिशन ने देश भर में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को नया आयाम प्रदान किया है, जिसके जरिए 82% से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब कार्यशील नल कनेक्शन के माध्यम से जल मिल रहा है।

मार्च 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचे को शामिल किया गया है। जेजेएम 2.0 के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़कर दीर्घकालिक कार्यशीलता, नागरिक-केंद्रित, जल गुणवत्ता, स्रोत स्थिरता और सुनिश्चित सेवा प्रदायगी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इसके अलावा, जेजेएम 2.0 में जनभागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़कर सेवा प्रदायगी के लिए जेजेएम के कार्यान्वयन का पुनर्गठन तथा पुनर्विन्यास किया गया है, जो पेयजल अभिशासन और सतत ग्रामीण पाइपगत पेयजल आपूर्ति के लिए संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित है। समय-सीमा, स्थिरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा प्रदायगी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तेलंगाना सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जेजेएम 2.0 के तहत जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत, 'सुजलाम भारत' नामक एक-समान राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क सृजित किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण गांव को स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल रूप से मानचित्रण करने के लिए एक विशिष्ट सुजल गांव आईडी प्रदान की जाएगी। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए "जल अर्पण" के माध्यम से योजनाओं को चालू करने तथा औपचारिक रूप से सौंपने में ग्राम पंचायतों और ग्राम जल तथा स्वच्छता

समितियों को शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत कार्यों के पूरा होने को प्रमाणित करती है और पर्याप्त ग्राम-अवस्थित संचालन तथा रखरखाव तंत्र स्थापित किए जाने की पुष्टि होने पर ही स्वयं को "हर घर जल" घोषित करती है। ‘‘जल उत्सव’’ को आयोजित किया जाता है, और समुदाय के नेतृत्व वाले अनुरक्षण तथा समीक्षा कार्यक्रम के रूप में भविष्य में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की बात को दोहराते हुए इसे स्थानीय संस्कृति से भी जोड़ा जा रहा है।

जेजेएम, एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम होने के नाते, केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 तथा शेष राज्यों के लिए 50:50 है। इसके अलावा, सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) गतिविधियों के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण पैटर्न 100%, हिमालयी, पूर्वोत्तर राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 60:40 है।

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) क्षेत्रों में जारी योजनाओं के अतिरिक्त जेजेएम 2.0 के तहत कोई नई पाइपगत जलापूर्ति योजना शुरू नहीं की जाएगी। इसके अलावा, रेट्रोफिटिंग योजनाओं के लिए कोई केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और ऐसी योजनाओं के अंतर्गत किसी भी लंबित देनदारी की पूर्ति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से की जाएगी।

वर्तमान में, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक तेलंगाना सहित राज्य-वार केंद्रीय आवंटन और राज्यों द्वारा आहरित निधि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, मिशन के तहत वित्तीय प्रगति का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:
https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAllocationReleaseExpenditure.aspx

(च): जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से ग्रामीण परिवारों तक नल जल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय, केवल 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। दिनांक 04.08.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.90 करोड़ (82.19%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत राज्य-वार कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या और प्रतिशत को दर्शाते हुए कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अद्यतित वर्तमान स्थिति, जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। इसका लिंक नीचे दिया गया है: https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/jjmindia.aspx

आन्ध्र प्रदेश में कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शनों का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(छ): जेजेएम 2.0 के तहत भूजल संदूषण और अतिदोहन को रोकने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं: -

(i) भूजल के अत्यधिक दोहन और कुओं के बीच जल संबंधी हस्तक्षेप को रोकने के लिए, मौजूदा पेयजल स्रोत से निर्धारित सुरक्षित दूरी के भीतर अतिरिक्त ट्यूबवेल या बोरवेल की संस्थापना की समीक्षा केंद्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ), केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के तकनीकी मानकों के अनुसार की जाएगी।

(ii) जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतें पेयजल स्रोत स्थालों का मानचित्रण आसपास के भूमि उपयोग पैटर्न की निगरानी; संभावित संदूषण जोखिमों की पहचान; समुचित स्रोत सुरक्षा उपायों की आयोजना और कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) तथा अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से उपलब्ध भू-स्थानिक सूचना और डेटासेट का उपयोग करेंगी।

(iii) मानवजनित गतिविधियों से संदूषण के जोखिम को कम-से-कम करने के लिए ट्यूबवेल और बोरवेल जैसे पेयजल स्रोतों के आसपास समुचित न्यूनतम स्वच्छता सुरक्षा दूरी बनाए रखी जाएगी।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीपीएचईईओ, सीजीडब्ल्यूबी तथा बीआईएस द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों और मानकों के अनुपालन में स्रोत संरक्षण तथा संदूषण रोकथाम संबंधी उपाय करेंगे।

(v) राष्ट्रीय डब्ल्यूक्यूएमआईएस और सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म से सभी जल गुणवत्ता परीक्षण परिणामों को सहबद्ध किया गया है ताकि निकटतम सटीक समय पर ट्रैक किया जा सके, संदूषण के प्रारंभिक स्तर पर चेतावनी जारी की जा सके और इन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

(vi) पेयजल स्रोतों के स्वच्छता संरक्षण दायरे के भीतर सोक पिट, लीच पिट, सेप्टिक टैंक, मैजिक पिट या अन्य अपशिष्ट निपटान संरचनाओं के निर्माण से बचा जाए। जहां साइट/क्षेत्र की बाधाओं के कारण ऐसी संरचनाओं से बचाव संभव नहीं है, वहां पेयजल स्रोत के संदूषण को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक और उपशमन उपाय अपनाए जाएं।

अनुबंध- I

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *265 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

2026-27 में जेजेएम के तहत केंद्रीय आवंटन और जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय आवंटन	02.08.2026 तक आहरित केंद्रीय निधि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.71	0
2	आंध्र प्रदेश	1,945.98	33.83
3	अरुणाचल प्रदेश	50.16	0
4	असम	3,111.27	669.92
5	बिहार	7.62	0
6	छत्तीसगढ़	3,121.93	153.38
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	-	0
8	गोवा	9.74	0
9	गुजरात	2,299.84	0
10	हरियाणा	43.54	0
11	हिमाचल प्रदेश	174.87	2.02
12	जम्मू एवं कश्मीर	905.74	0
13	झारखंड	2,222.18	0.35
14	कर्नाटक	8,120.30	843.04
15	केरल	4,401.66	144.66
16	लद्दाख	162.07	0
17	लक्षद्वीप	64.14	0
18	मध्य प्रदेश	4,593.06	14.10
19	महाराष्ट्र	4,570.96	125.63
20	मणिपुर	5.62	0
21	मेघालय	336.62	0
22	मिजोरम	19.70	0
23	नागालैंड	46.63	0
24	ओडिशा	3,951.61	221.95
25	पुदुचेरी	0.23	0
26	पंजाब	189.63	0.01
27	राजस्थान	7,038.44	541.6
28	सिक्किम	22.21	0
29	तमिलनाडु	2,160.83	96.53
30	तेलंगाना	23.70	0
31	त्रिपुरा	523.07	5.98
32	उत्तर प्रदेश	13,274.85	2802.5
33	उत्तराखंड	626.59	0
34	पश्चिम बंगाल	3,338.03	30.45
कुल		67,363.50	5,685.95

अनुबंध- II

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *265 के उत्तर के भाग (च) में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश में जिला-वार परिवारों और कनेक्शनों की संख्या

क्र. सं.	जिला	कुल परिवार	15/08/2019 तक कनेक्शन वाले परिवार	31/07/2026 तक कनेक्शन वाले परिवार	एफएचटीसी कवरेज (% में)
कुल		**95,53,169**	**30,40,044**	**71,88,243**	**75.24**
1	अल्लूरी सीताराम राजू	2,90,745	23,470	1,80,887	62.21
2	अनकपल्ली	4,17,489	6,73,59	2,96,510	71.02
3	अनंतपुरमु	4,34,468	1,90,443	3,62,390	83.41
4	अन्नामय्या	3,63,710	1,81,397	3,63,710	100
5	बापटला	3,64,788	72,292	1,55,309	42.58
6	चित्तूर	3,70,234	2,18,823	3,70,206	99.99
7	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	4,02,434	58,474	3,03,661	75.46
8	ईस्ट गोदावरी	3,56,543	1,64,501	3,34,760	93.89
9	एलुरु	4,79,752	2,56,892	4,18,613	87.26
10	गुंटूर	2,33,883	1,08,777	1,58,961	67.97
11	काकीनाडा	3,89,205	1,01,973	3,35,834	86.29
12	कृष्णा	3,75,691	1,07,867	2,22,966	59.35
13	कुरनूल	3,45,790	90,710	2,40,502	69.55
14	नंदयाल	3,46,130	1,22,973	2,64,075	76.29
15	एनटीआर	2,67,874	77,226	1,63,838	61.16
16	पालनाडू	4,34,399	58,166	1,62,856	37.49
17	पार्वतीपुरम मान्यम	2,22,444	2,847	1,65,092	74.22
18	प्रकाशम	4,76,454	1,17,402	3,29,984	69.26
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	4,60,415	2,32,625	4,02,232	87.36
20	श्री सत्य साईं	3,65,072	1,44,890	3,09,272	84.72
21	श्रीकाकुलम	5,35,764	13,985	2,37,640	44.36
22	तिरुपति	4,17,349	2,40,311	4,17,349	100
23	विशाखापत्तनम	59,338	10,395	40,845	68.83
24	विजयनगरम	4,44,171	13,692	3,09,407	69.66
25	वेस्ट गोदावरी	3,69,137	1,70,983	3,11,454	84.37
26	वाई.एस.आर.	3,29,890	1,91,571	3,29,890	100
कुल		**95,53,169**	**30,40,044**	**71,88,243**	**75.24**

(स्रोत: जेजेएम-आईएसआईएस)
